न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल,
आर.ए.एस.

प्रकरण सं. — 45 / 2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगणः–
मुकेश पुत्र अचलाराम, जाति सोनार, निवासी बागोडा, तहसील भीनमाल, जिला जालोर		1.मदनलाल पुत्र स्व. श्री धर्माशंकर, जाति श्रीमाली,निवासी बागोडा, तहसील बागोडा, जिला जालोर 2.घनश्याम पुत्र स्व. श्री धर्माशंकर (फौत) के कायम मुकामः– 2 / 1.जेना पुत्र घनश्याम,जाति श्रीमाली, 2 / 2.विवेक पुत्र घनश्याम,जाति श्रीमाली 3.सुकीदेवी पत्नि श्री सवाराम,जाति प्रजापत, निवासी बागोडा, तहसील बागोडा,जिला जालोर 4.सरपंच, ग्राम पंचायत बागोडा 5.राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार बागोडा

अन्तर्गत धारा 20(2)के परन्तुक राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन)नियम 1970

उपस्थिति :–
1.श्री जगदीश गोदारा व श्री पारसमल बाराडा,अभिभाषक,प्रार्थी की ओर से।
2.श्री शंभूदान आसिया, अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.1 की ओर से।
3.श्री छोटूसिंह,सरकारी अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं.5 की ओर से।
4.अप्रार्थी सं.2 / 1, 2 / 2, 3, 4 अनुपस्थित।

निर्णय — दिनांक 30.8.2019

1. यह प्रकरण न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम बागोडा के पुराने खसरा 651 रकबा 292 बीघा 16 बिस्वा,गैर मुमकिन पायतन का आया हुआ है जो खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2011 से 2029 में गैर मुमकिन पायतन दर्ज है। गैरमुमकिन पायतन

की भूमि एक जलागम क्षैत्र है जिसमें से प्राकृतिक पानी इकट्ठा होकर तालाब नाडी आदि में आता है,गैर मुमकिन पायतन भूमि का कोई भी नियमन आवंटन नहीं किया जा सकता है तथा धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार की भूमि को खातेदारी देने में वर्जना दी हुई है। पुराने खसरा नम्बर 651 में से 32 बीघा 10 बिस्वा रकबे को रेगुलाईज बताकर अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता स्व.श्री धर्माशंकर पुत्र श्री केसूराम श्रीमाली के नाम जरिये नामान्तरकरण सं. 157 के द्वारा दर्ज कर दिया जिसके आगे पट्टा सं. 7914/651 डाले गये जिसके नये खसरा नम्बर 1392,1393,1393/1617 है। खसरा नम्बर 651 गैर मुमकिन पायतन की 32 बीघा 10 बिस्वा भूमि का अप्रार्थी सं.1व 2 के पिता स्व. धर्माशंकर के नाम दर्ज करने का किसी भी सक्षम अधिकारी का कोई रेगुलाईज आदेश नही है, इसलिए आलोच्य नामान्तरकरण में भी रेगुलाईज आदेश की कमांक तथा आदेश जारी करने वाले अधिकारी का कोई अंकन नहीं किया गया हैं तथा सरपंच ग्राम पंचायत को भूमि का रेगुलाईज करने का अधिकार नहीं हैं। आलोच्य नामान्तरकरण तात्कालीन पटवारी हल्का व स्व .धर्माशंकर, सरपंच ग्राम पंचायत ने मिलकर बाले बाले स्वयं के नाम सरदारमल से दर्ज करवा लिया है,इसके अलावा विवादित पुराने खसरा संख्या 651 गै.मु. पायतन की 53 बीघा 05 बिस्वा भूमि जरिये नामांतकरण संख्या 156 के सरपंच धर्माशंकर ने अपने सगे भाई मोहनलाल के नाम दर्ज कर दी। जब आलोच्य आदेश एवं नामांतकरण विधि विरूद्ध होने से प्रारम्भ से ही शून्य है तथा उसके परिणामस्वरूप दर्ज किये गये पश्चातवर्ती समस्त राजस्व रेकर्ड की प्रविष्टियां एवं बेचाननामें तथा बेचान के नामांतकरण आदि भी शून्य है एवं स्वतः ही निरस्त किये जाने के योग्य है, जिससे किसी भी प्रकार का किसी को कोई खातेदारी अधिकार उत्पन्न ही नहीं होता है। उक्त भूमि का रकबा 32 बीघा 10 बिस्वा तथा 53 बीघा 05 बिस्वा रकबा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता स्व. धर्माशंकर के व उसके भाई मोहनलाल के नाम दर्ज करने के आदेश प्रार्थी के प्राकृतिक पानी के उपयोग के अधिकार के खिलाफ होने से प्रार्थी इससे व्यथित है तथा मामले में हितबद्ध पक्षकार है तथा प्रार्थी को आलोच्य आदेशों को चुनौती देने का अधिकार प्राप्त है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी को आलोच्य आदेश एवं नामांतकरण की जानकारी नहीं थी, प्रार्थी दिनांक 05.02.2016 को अपने पिता के खातेदारी भूमि के नामांतकरण की अपील करने जोधपुर गया। जिसके लिये प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थी के पिता की खातेदारी भूमि की खतौनी संवत 2020 से 2027 की नकले रेकर्ड से लेकर मंगवाई,खतौनी की नकल प्राप्त की, तब प्रार्थी को पहली बार इसके अप्रार्थी के पिता के नाम खातेदारी ,ग्राम बागोडा के नामांतकरण संख्या 156 के आधार पर जानकारी हुई जिस पर नामांतकरण संख्या 156 की नकल ली, इसके बाद प्रार्थी ने सूचना के अधिकार के तहत नामांतकरण में दर्ज रेगुलराईजेशन के आदेश की नकल के लिये तहसीलदार भीनमाल व तहसीलदार बागोडा के

कार्यालय में आवेदन किया तथा वहां से इस प्रकार का कोई रेगुलराईजेशन का आदेश जारी नहीं होने का जवाब अपीलीय अधिकारी जिला कलेक्टर जालोर में दिनांक 20.07.2016 को दिया। तब पहली बार प्रार्थी को गै.मु. पायतन की भूमि बिना वजह अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता स्व. धर्माशंकर के नाम से दर्ज करने की जानकारी हुई, जानकारी से प्रार्थना पत्र अंदर म्याद प्रस्तुत किया जा रहा है। आलोच्य आदेश विधि विरूद्ध पारित किया गया शून्य आदेश है जिसको निरस्त करने के लिये किसी भी प्रकार की कोई म्याद नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आलोच्य रेगुलराईज आदेश एवं उसके परिणामस्वरूप दर्ज किये गये नामांतकरण संख्या 157 ग्राम बागोडा दिनांक 07.03.1968 को निरस्त किये जाने का तथा उसके आधार पर तैयार की गई समस्त राजस्व रेकर्ड की प्रविष्टियों को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे तथा भूमि पुराने खसरा नंबर 791/651 रकबा 32 बीघा 10 बिस्वा को गै.मु. पायतन मे बहाल किये जाने का आदेश करावे। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र तथा रेगुलाईज आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने से छूट प्रदान किये जाने का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ म्युटेशन सं. 157 आदि की प्रमाणित प्रति ,आदि नकले पेश की,इस पर प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया। रैकार्ड में केवल बागोडा का म्युटेशन सं. 157 प्राप्त हुआ।

2. अप्रार्थी सं.1व 5 के वकुलाय ने प्रार्थी के प्रार्थनापत्र का कोई जवाब पेश नही किया गया है।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अभिभाषक ने अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि ग्राम बागोडा के पुराने खसरा नम्बर 651 रकबा 292बीघा 16 बिस्वा ,गैर मुमकिन पायतन दर्ज है जिसमें से 32 बीघा 10 बिस्वा को रेगुलाईज बताकर अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता स्व. धर्माशंकर के नाम जरिये नामान्तरकरण सं. 157 के द्वारा दर्ज कर दिया जिसके आगे बटा सं. 791/651 डाले गये जिसके नये खसरा नम्बर 1392,1393,1393/1617 हैं। विवादित भूमि गैर मुमकिन पायतन है जो रेगुलाईजेशन के नियमों में नही आती है तथा रेगुलाईज व आवंटन करने से वर्जित है। स्व. धर्माशंकर के नाम रेगुलाईज आदेश नहीं है। इसके अलावा विवादित पुराने खसरा नम्बर 651 गैर मुमकिन पायतन की 53 बीघा 5 बिस्वा भूमि जरिये नामान्तरकरण सं. 156 के सरपंच धर्माशंकर ने अपने सगे भाई मोहनलाल के नाम दर्ज कर दी। प्रार्थी व्यथित व हितबद्ध पक्षकार है तथा प्रार्थी को आलोच्य आदेश को चुनौति देने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी ने नामान्तरकरण की नकल ली तथा इसके बाद सूचना आदेश के तहत् रेगुलाईजेशन के आदेश की तहसीलदार भीनमाल बागोडा

को आवेदन किया ,वहां से इस प्रकार का कोई रेगुलाईजेशन आदेश जारी नहीं होने का जवाब अपीलीय अधिकारी जिला कलेक्टर जालोर में दिनांक 20.7.2016को दिया। अतः म्युटेशन सं.157 दिनांक 7.3.1968 को निरस्त किये जाने तथा उसके आधार पर समस्त राजस्व रैकार्ड की प्रविष्ठियों को निरस्त करावे तथा भूमि पुराने खसरा नम्बर 791/651 रकबा 32 बीघा 10 बिस्वा को गैर मुमकिन पायतन में बहाल किये जाने का आदेश करावे। इसके समर्थन में प्रार्थीगण वकील ने माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर के डी.बी.सिविल रिट पिटिशन सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज.सरकार ,निर्णय दिनांक 2.8.2004 पेज 435 की नज़ीर पेश की। अप्रार्थी सं.1 के वकील ने बहस में बताया कि प्रार्थनापत्र म्याद बाहर हैं तथा उसे म्याद में लेने हेतु कोई प्रार्थनापत्र भी पेश नहीं किया गया है, न ही शपथपत्र पेश किया है,म्युटेशन सं.157 सन् 1968 में स्वीकृत किया गया है तथा प्रार्थी ने नियम 1970 के तहत् यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है जो चलने योग्य नहीं हैं क्योंकि सन् 1970 के नियम सन् 1968 में हुए आवंटन पर लागू नहीं होते है, यह भी बताया कि 58 साल से प्राप्त खातेदार अधिकार को म्युटेशन की आड में समाप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि म्युटेशन की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही है जिसके जरिये हक–हकूक निर्धारण नहीं किया जा सकता है जिस हेतु नियमित वाद आवश्यक है, म्युटेशन सं. 157 में भूमि की किस्म पायतन नहीं होकर बारानी दोयम दर्ज है, धारा 16 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 में पायतन भूमि का उल्लेख नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। मौजा बागोडा के खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2011–2029 अनुसार ग्राम बागोडा के पुराने खसरा नम्बर 651 रकबा 292बीघा 16 बिस्वा ,गैर मुमकिन पायतन दर्ज है जिसमें से 32 बीघा 10 बिस्वा को रेगुलराईज बताकर अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता धरमाशंकर पुत्र केसुरामजी,जाति श्रीमाली के नाम जरिये नामान्तरकरण सं. 157 के द्वारा दर्ज कर दिया जिसके आगे बटा सं. 791/651 डाले गये जिसके नये खसरा नम्बर 1392,1393,1393/1617हैं। विवादित भूमि गैर मुमकिन पायतन है जो राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही होते है।साथ ही माननीय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के डी.बी. सिविल रिट पिटिशन सं.1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज.सरकार ,निर्णय दिनांक 2.8.2004 पेज 435 की नजीर में बताया है कि पर्यावरण–जलागम क्षैत्र का पुनःस्थापन–लोकहित वाद–नदी की भूमि,निर्माण में प्रयुक्त नही की जा सकती–दिनांक 18.7.2003 के न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत राज्य द्वारा विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं पर विचार करने तथा जमागम क्षैत्रों को उनकी मूल स्थिति

में पुनः लाने का राज्य को निदेश किया गया। इसके अलावा म्युटेशन सं. 157 में के कॉलम सं. 14 में रेगुलाइज आदेश कमांक व दिनांक तथा किस अधिकारी ने आदेश जारी किया उसका वर्णन अंकित नहीं है तथा उक्त म्युटेशन पटवारी हल्का नही भरा गया है जो सन्देहजनक है। खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2011से 2029 अनुसार खसरा नम्बर 651 रकबा 292बीघा 16 बिस्वा पायतन दर्ज है जो नियमन योग्य नही है।

राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन)नियम 1970के नियम 14(4)के अनुसार "कलेक्टर को उपखण्ड अधिकारी द्वारा (या नियम 21द्वारा निरसित नियमों के अधीन तहसीलदार द्वारा) किये गये किसी भी आवंटन को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पत्र पर रद्द करने की शक्ति होगी ,यदि आवंटन कपट अथवा मिथ्याव्यपदेशन के द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्ध किया गया होया यदि आवंटी ने आवंटन की शर्तो में से किसी शर्त को भंग किया हो, उक्त प्रकरण में ग्राम बागोडा का नामान्तरकरण सं. 157 दिनांक 7.3.1968 सरपंच,ग्राम ग्राम पंचायत बागोडा द्वारा नियमन का हवाला देकर स्वीकार किया है, उक्त नामान्तरकरण द्वारा खसरा नम्बर 791/651 रकबा 32 बीघा 10बिस्वा भूमि धरमाशंकर पुत्र केसुराम के नाम कर दी, उक्त भूमि खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2011 से 2029 के खाता सं.228 के अनुसार खसरा नम्बर 651 रकबा 292 बीघा 16 बिस्वा की किस्म गैर मुमकिन पायतन थी।राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत् गैर मुमकिन पायतन की भूमि का आवंटन/नियमन करना व उस पर खातेदारी अधिकार दिये जाने पर प्रतिबंध है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं.1,2–के पिता धरमाशंकर पुत्र केसूराम को मौजा बागोडा के खसरा नम्बर 791/651 में 32 बीघा 10 बिस्वा का नियमन किया गया हो तो नियमन आदेश व उसकी पालना में भरा गया मौजा बागोडा म्युटेशन सं. 157/7.3.1968 निरस्त किया जाता है तथा उक्त भूमि पूर्वानुसार गैर मुमकिन पायतन दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 30.8.2019 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.18 16:53:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: